संख्या 55 /2026/993/26-3-2026- 1832332

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 28 मार्च, 2026**

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न निर्माण कार्य तथा जिला इकाईयों के निर्माण हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में 18 कार्य कराए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्यो की निविदा लागत के आधार पर अवशेष धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-409/ज0जा0वि0/36/275(1)/2025-26 दिनांक 27.03.2026 एवं संख्या-407/ज0जा0वि0/36/275(1)/2025-26 दिनांक 25.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-2026 में अनुदान संख्या - 81 के लेखाशीर्ष - 4225-02-796-01-0104 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न निर्माण कार्य तथा जिला इकाईयों के संचालन हेतु अनुदान (के. 100 / रा. 0) के मानक मद - 24 - वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 - 4000.00 लाख के सापेक्ष प्रश्नगत 18 कार्यों हेतु निविदित लागत की धनराशि रू0 690.13 लाख के सापेक्ष निम्नानुसार 05 प्रतिशत की रोकी गयी धनराशि रु० 22.71 लाख (रू० - बाइस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने व धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने सम्बन्ध आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्र0सं0	प्रस्ताव/कार्य का नाम	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि	शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृति धनराशि	निविदा लागत	स्वीकृति हेतु (05 प्रतिशत रोकी गयी) प्रस्तावित धनराशि (5-4)
1	2	3	4	5	6
1	ग्राम पंचायत जुगैल में सलैयापान मुख्य मार्ग से भटीहवा टोला तक सी०सी० रोड निर्माण, ब्लाक- चोपन, जनपद- सोनभद्र।	41.25	39.19	40.88	1.69
2	ग्राम पंचायत जुगैल में गर्दी रोड से रकबा टोला तक सी०सी० रोड निर्माण ब्लाक- चोपन, जनपद- सोनभद्र।	41.26	39.20	40.63	1.43
3	ग्राम पंचायत जुगैल में गर्दी रोड से खोड़वा टोला तक सी०सी० रोड निर्माण ब्लाक- चोपन, जनपद- सोनभद्र।	41.26	39.20	40.01	0.81
4	ग्राम पंचायत जुगैल में रोड से गुर्जर बस्ती तक सी०सी० रोड निर्माण ब्लाक- चोपन, जनपद- सोनभद्र।	38.79	36.85	38.54	1.69
5	ग्राम पंचायत जुगैल में गर्दी मेन रोड से गोंड बस्ती तक सी०सी० रोड निर्माण ब्लाक- चोपन, जनपद- सोनभद्र।	37.14	35.28	36.58	1.3
6	ग्राम पंचायत जुगैल में भरहरी मुख्य मार्ग से तेनुडाड़ तक सी०सी० रोड निर्माण व सोलर लाईट कार्य, ब्लाक- चोपन, जनपद- सोनभद्र।	35.39	33.62	34.95	1.33
7	ग्राम पंचायत जुगैल में भरहरी मुख्य मार्ग से नगवां टोला तक सी०सी० रोड निर्माण व सोलर लाईट कार्य, ब्लाक- चोपन, जनपद- सोनभद्र।	35.39	33.62	35.13	1.51

8	ग्राम पंचायत जुगैल में जोरबा पिपरा मार्ग से भैसोडा टोला तक सी०सी० रोड निर्माण व सोलर लाईट कार्य, ब्लाक-चोपन, जनपद-सोनभद्र।	39.50	37.52	39.24	1.72
9	ग्राम पंचायत जुगैल में चकरिया-नेवारी मार्ग से भीतरी टोला बैगा बस्ती तक सी०सी० रोड निर्माण व सोलर लाईट कार्य, ब्लाक- चोपन, जनपद- सोनभद्र।	43.62	41.44	43.29	1.85
10	ग्राम पंचायत जुगैल में जुगौवा से भीतरी टोला बैगा बस्ती तक सी०सी० रोड निर्माण व सोलर लाईट कार्य, ब्लाक-चोपन, जनपद-सोनभद्र।	43.62	41.44	40.18	-1.26
11	ग्राम पंचायत जुगैल में जुगैल परसोइ मुख्य मार्ग से पीपरा टोला तक सी०सी० रोड निर्माण व सोलर लाईट कार्य, ब्लाक- चोपन, जनपद-सोनभद्र	35.39	33.62	34.65	1.03
12	ग्राम पंचायत जुगैल में जुगैल गर्दी मार्ग से फर्री टोला तक सी०सी० रोड निर्माण व सोलर लाईट कार्य, ब्लाक-चोपन, जनपद- सोनभद्र।	39.50	37.52	38.67	1.15
13	ग्राम पंचायत जुगैल में बेलगाड़ी पटवाटोला मार्ग से अगरीहवा टोला तक सी०सी० रोड निर्माण व सोलर लाईट कार्य।	39.50	37.52	38.67	1.15
14	ग्राम पंचायत जुगैल में गर्दी बेलगड़ी सम्पर्क मार्ग से महुवरिया टोला तक सी०सी० रोड निर्माण व सोलर लाईट कार्य, ब्लाक-चोपन, जनपद-सोनभद्र।	35.39	33.62	34.97	1.35
15	ग्राम पंचायत जुगैल में जुगैल गर्दी मार्ग से पुसरेव टोला तक सी०सी० रोड निर्माण व सोलर लाईट कार्य, ब्लाक-चोपन, जनपद- सोनभद्र।	43.62	41.44	43.30	1.86
16	ग्राम पंचायत जुगैल में जुगैल गर्दी मार्ग से सलैयापान टोला तक सी०सी० रोड निर्माण व सोलर लाईट कार्य, ब्लाक-चोपन, जनपद- सोनभद्र।	35.39	33.62	35.16	1.54
17	ग्राम पंचायत जुगैल में जुगैल भरहरी मुख्य मार्ग से करमहवा टोला तक सी०सी० रोड व सोलर लाईट कार्य, ब्लाक-चोपन, जनपद- सोनभद्र	41.15	39.09	40.12	1.03
18	ग्राम पंचायत जुगैल में करपनिया नौडिहवा सम्पर्क मार्ग से कोइलीडाड टोला तक सी०सी० रोड निर्माण व सोलर लाईट कार्य, ब्लाक- चोपन, जनपद- सोनभद्र।	35.39	33.63	35.16	1.53
योग		**702.55**	**667.42**	**690.13**	**22.71**

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-117/2024/1783/26-3-2024- 1832332 दिनांक 03.09.2024 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) योजनान्तर्गत जनपद सोनभद्र के जनजातीय बाहुल्य 18 ग्रामों में विकास कार्य कराए जाने हेतु आगणित लागत रू0 - 702.55 लाख में से 05 प्रतिशत धनराशि रू0 - 35.13 लाख रोकते हुए धनराशि रू0 - 667.42 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यदायी संस्था के रूप में यू०पी० सिडको को नामित किया गया ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि जनपद सोनभद्र में 18 कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में अनुदान संख्या - 81 के लेखाशीर्ष - 4225-02-796-01-0104 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न निर्माण कार्य तथा जिला इकाईयों के संचालन हेतु अनुदान (के. 100 / रा. 0) के मानक मद - 24 - वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 - 4000.00 लाख के सापेक्ष प्रश्नगत 18 कार्यों हेतु निविदित लागत की धनराशि रू0 690.13 लाख के सापेक्ष 5 प्रतिशत रोकी गयी धनराशि रु० 22.71 लाख (रू० -बाइस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि इस सम्बन्ध में संख्या-117/2024/1783/26-3-

2024- 1832332 दिनांक 03.09.2024 में अंकित शर्तो व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024 दिनांक-19.06.2024 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में तिथिवार विवरण एवं प्रामाणिक प्रपत्र जी0एस0टी0 इन्वायस सक्षम स्तर से निदेशक, जनजाति विकास के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चककोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) निदेशक, जनजाति विकास द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन निदेशक, जनजाति विकास द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (V II) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्कतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन निदेशालय, जनजाति विकास एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था/निदेशक जनजाति विकास द्वारा प्रेषित मांग एवं अभिलेखों के आधार पर अवमुक्त की गई है। अतः यदि परियोजना के मानक एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में कोई सूचना भविष्य में गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) उपरोक्त अंकित 18 कार्यो के क्रमांक-10 में उल्लिखित अन्तर की धनराशि रू0 1.26 लाख के समायोजन के कार्यदायी संस्था द्वारा की जायेगी।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये-22,71,000/- (रू० बाइस लाख इक्हत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 4225-02-796-01-0104 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न निर्माण कार्य तथा जिला इकाईयों के संचालन हेतु अनुदान (के. 100 / रा. 0) के मानक मद - 24 - वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 28-03-2025
18:16:05

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

पृ0 संख्य एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, सोनभद्र।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
10- निदेशक, एन0आई0सी0।
11- गार्डफाइल।

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।